

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

अधि.क्र.03एफ 1-07-2021-अठारह-3 .- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद बरगवों, (अमलाई) का गठन करती है, अर्थात् :-

### अनुसूची-एक

बरगवों(अमलाई) नगर परिषद की परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

स. क्र.	जिले का नाम	तहसील का नाम	नगर परिषद का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	अनूपपुर	अनूपपुर	बरगवों(अमलाई)	1. बरगवों	1. बरगवों (अमलाई)
2				2. देवहरा	1. देवहरा 2. सकोला
कुल -				02	03

### अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, बरगवों (अमलाई) नगर परिषद की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

उत्तर दिशा :- ग्राम पंचायत बकही एवं नगर परिषद बकहो के क्षेत्र ओपीएम क्षेत्र की सीमाओं से मर्यादित।

पूर्व दिशा :- ग्राम पंचायत केल्हौरी क्षेत्र की सीमाओं से मर्यादित।

दक्षिण दिशा :- ग्राम पंचायत पटनाकला एवं ग्राम पंचायत धिरौल की सीमाओं से तथा ग्राम पंचायत चकेठी की सीमाओं से मर्यादित।

पश्चिम दिशा:- नगर परिषद बकहो के क्षेत्र ग्राम इन्द्रानगर एवं नगर पालिका धनपुरी के अमलाई क्षेत्र की सीमाओं से मर्यादित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-07-2021-अठारह-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 03 एफ 1-07-2021-अठारह-3, दिनांक 7 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 7<sup>th</sup> February 2022

Noti.No.3 F-1-07-2021-XVIII-3.- In exercise of the powers conferred by section 5(1)(b) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby pleased to include the areas of Village Panchayat mentioned in the below table is notified as Municipal Council Bargawan (Amlai), Namely :-

### SCHEDULE- I

Area included in the boundaries of Bargawan(Amlai), Municipal Council:

No.	District	Teshil Name	Name of the Nagar Parishad	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included Villages
1	2	3	4	5	6
1	Anuppur	Anuppur	Bargawan (Amlai)	1. Bargawan	Bargawan (Amlai)
2				2. Devhara	1. Devhara 2. Sakola
<b>Total-</b>				<b>02</b>	<b>03</b>

## SCHEDULE –II

After including the area shown in Schedule-I, The revised Limits of Bargawan (Amlai) Municipal Council Will be as follows:-

- North Direction:-** The Area of Gram Panchayat bakhi and Municipal Council Bakho is limited by the boundaries of O.P.M. area.
- East Direction :-** Limited from the boundaries of Gram Panchayat Kelhori area.
- South Direction:-** Limited to the limits of Gram Panchayat Patnakala, Dhiroul and Chakethi.
- West Direction:-** Limited to the limits of the Area of Indranagar village of Municipal Council Bakho and Amlai area of Municipal Council Dhanpuri

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
TARUN RATHI , Dy. Secy.